भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.18

दिनांक 14 **सितम्बर**, 2020

असम के तिनसुकिया में बागजन ऑयल फील्ड में आग

18. **श्री प्रदान बरुवाः**
श्री डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस.:
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्री बी. मणिक्कम टैगोरः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के असम के तिनसुकिया में बागजन ऑयल फील्ड में बड़े पैमाने पर लगी आग से क्षेत्र की मानव पूंजी, आजीविका फसलों तथा पारिस्थितिकी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितने नुकसान/कितने लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है तथा कितने लोगों को घटना स्थल से बाहर निकाला गया;

(ख) प्रभावित निवासियों को मुआवज़ा प्रदान करने तथा पुनर्वस्थापन एवं पुनर्वास कार्यक्रम आरंभ करने की योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्रत्याशित समय-सीमा क्या है;

(ग) तेल के कुएं में हुए धमाके के दृष्टिगत ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई आपदा अपशमन योजनाओं सहित सुरक्षापायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है और यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई आरंभ की गई है;

(ङ) क्या भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, तेल शोधक कारखानों तथा ऑयल फील्ड्स/कुंओं में गैस का रिसाव होने और आग लगने की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान सूचित की गई ऐसी घटनाओं की संख्या तथा परिणामस्वरूप हुई राजस्व की हानि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में पाइपलाइनों में होने वाले रिसाव को रोकने तथा पाइपलाइन एवं अन्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अवसंरचना की सुरक्षा बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(**श्री धर्मेन्द्र प्रधान**)

(**क**) **और** (**ख**) बागजन तेल क्षेत्र के कूपों से तेजी से बाहर निकलने वाली गर्मी और शोर के कारण आस-पास के क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है। यहां से लगभग 3000 प्रभावित परिवारों को निकालकर जिला प्रशासन द्वारा स्थापित पुनर्वास शिविरों में भेजा गया था। मैसर्स टीईआरआई को परिवेशी वायु गुणवत्ता

(एएक्यू) की निगरानी रखने और बायोरेमेडिएशन के कार्य हेतु सीएसआईआर पूर्वोत्तर वि ान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआईएसटी) को भूकंपीय अध्ययन और आईआईटी, गुवाहाटी को थर्मल इमेजिंग के माध्यम से पैदा होने वाली गर्मी के प्रभाव के अध्ययन का कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। स्थानीय निवासियों में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि, ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के तीन कर्मचारी हताहत हुए हैं।

जिला प्रशासन ने संपत्ति के नुकसान के आकलन के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसके लिए ओआईएल को प्रभावित परिवारों को संवितरण के लिए जिला प्रशासन को मुआवजा राशि जमा करनी होगी। दिनांक 08.09.2020 तक डूमडोमा और तिनसुकिया सर्किल में अब तक 2756 परिवारों की पहचान मुआवजा देने के लिए की गई है। ओआईएल ने 3645 प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक को 30,000/-का एक बारगी मुआवजा देने के लिए जिला प्रशासन के पास 10,93,50,500/- रुपए की राशि जमा करा दी है। एनजीटी ने भी अंतरिम मुआवजे के भुगतान का निर्देश दिया है: -

क) श्रेणी (i): 25.00 लाख रु (जिनके घर आग से पूरी तरह नष्ट हो गए हैं)
ख) श्रेणी (ii): 10.00 लाख रु (जिनके घर बुरी तरह क्षतिग्र त हो गए हैं)
ग) श्रेणी (iii): 2.5 लाख रु (जिनके घर मामूली रूप से / आंशिक रूप से क्षति स्त हुए हैं या जिनकी खड़ी फसलें और बागवानी आंशिक रूप से क्षति स्त हुई हैं)।

श्रेणी (i) के तहत, 12 परिवारों के लिए प्रत्येक को मुआवजा राशि देने के लिए उपायुक्त (डीसी) कार्यालय को 25 लाख रुपये दिए गए और श्रेणी (ii) के तहत 57 परिवारों और श्रेणी (iii) के तहत 561 घरों को भी मुआवजे के लिए चि िनत किया गया है।

(**ग**) ओआईएल के सुरक्षा उपायों में सुरक्षा जागरूकता, निरीक्षण और ऑडिट, प्रचालन प्रक्रियाएं, सुरक्षा प्रशिक्षण आपातिक प्रतिक्रिया और मॉक ि ल,कर्मचारी भागीदारी, व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी, वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण, ठेक्देदार कार्मिक सुरक्षा प्रबंधन, नियमित सुरक्षा बैठकें,छोटी सी चूक की रिपोटिग, दुर्घटना/खतरनाक घटना की रिपोटिग, जांच और वि लेषण , निगरानी स्वास् य सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) और प्रौद्योगिकी उन्नयन शामिल हैं।

(**घ**) मंत्रालय ने इस घटना की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। इसके अलावा, खान और सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), और तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), भारत सरकार द्वारा जांच समितियों की भी स्थापना की गई है। कूप के ब्लोआउट से पहले सीधे तौर पर इसके प्रचालन का कार्य देख रहे ओआईएल के 2 अधिकारी निलं बत कर दिए गए हैं।

(**ड**.) पिछले तीन वर्षों के तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) द्वारा बताए गए प्रमुख ऑनसाइट घटनाएं नीचे दी गई हैं:

क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (**अगस्त तक**)
पाइपलाइन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिफाइनरीज	06	10	07	01
तेल क्षेत्र / कूप	08	06	03	01
योग	14	16	10	02

किसी पाइप लाइन में गैस रिसावों की अधिकांश घटनाओं में, तेल एवं गैस कूपों को तुरंत आग/ तेल और गैस के नुकसान से बचाने के लिए तत्काल बंद कर दिया जाता है और रिसाव को ठीक करने के बाद, प्रचालन सामान्य हो जाता है और उत्पादन शुरू हो जाता है।

(**च**) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय नियमित रूप से तेल और गैस क्षेत्र में विभिन्न सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है और इन संस्थापनाओं में सुरक्षा सुनि चित करने के उ` य से उपयुक्त उपाय करने के लिए समय-समय पर कंप्र नियों को निर्देश देता है। ओआईएसडी,पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक तकनीकी निदेशालय है जो पूरे तेल और गैस उद्योग के लिए सुरक्षा मानक तैयार करता है। उद्योग द्वारा सुरक्षा मानकों और मानदंडों का पालन किया जा रहा है या नहीं इसकी समीक्षा करने के लिए निदेशालय नियमित सुरक्षा जांच करता है। इन जांचों में सभी मौजूदा संस्थापनाओं का समय-समय पर बाहरी सुरक्षा जांच और औचक सुरक्षा जांच किया जाना, मौजूदा संस्थापनाओं में शामिल की जाने वाली सभी नई सुविधाओं को चालू करने से पूर्व सुरक्षा जांच तथा सुविधाओं के चालू होने से पहले, स्थापित की जा रही नई संस्थापनाएं शामिल हैं। भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एस ओपीज), यदि कोई हैं, में सुधार करने के लिए भी समीक्षा की जा रही है।

*****